न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर, रानी, जिला–पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी–रवि कांत सिंह (**R.A.S.**)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 2 / 2020
तारीख फैसला– 31 / 03 / 2022

प्रार्थी :–

मदन सोलंकी पुत्र स्वर्गीय श्री हेमाराम जी, जाति–बंजारा, निवासी – रानी तहसील रानी जिला पाली राजस्थान।

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1– राजस्थान सरकार(भूमिधारी) जरिये तहसीलदार रानी जिला पाली।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री मनोज रांगी वकील प्रार्थी की ओर से।
2. पेरोकार सरकार, भूमिधारी तहसीलदार रानी की ओर से ।

–: निर्णय :– दिनांक–31 / 03 / 2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि कब्जा काश्त पेतृक सम्पति कृषि भूमि मौजा ग्राम रानी पटवार हल्का रानी तहसील रानी जिला पाली में स्थित है, जिसके खसरा नम्बर 589, 590, 591, 591 / 657,596,604,606 किस्म क्रमशः गै.मु मकान, गै.मु रास्ता, गै.मु तेड, गै.मु बेरा, गै.मु, गै.मु बेरा, गै.मु मकान कुल खसरा 07 कुल रकबा 0.5700 हेक्टेयर. है। उक्त कुषि भूमि कि जमांबदी में प्रार्थी का नाम गलत ईन्द्राज होने से प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी का वास्तिविक नाम मदन सोलंकी है, किन्तु राजस्व विभाग द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम बधाराम वल्द हेमाराम लिख दिया गया है। अतः राजस्व रेकर्ड में जरिये शुद्धि प्रार्थी का नाम मदन सोंलकी दर्ज किया जाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी कि ओर से प्रार्थन पत्र का जवाब

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिशल है। प्रकरण में उभय पक्ष कि बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम रानी पटवार हल्का रानी तहसील रानी जिला पाली में प्रार्थी कि पैतृक कृषि भूमि स्थित है, जिसके खसरा नम्बर 589, 590, 591, 591 / 657 ,596, 604, 606 किस्म क्रमशः गै.मु मकान, गै.मु रास्ता, गै.मु तेड, गै.मु बेरा, गै.मु, गै.मु बेरा, गै.मु मकान कुल खसरा 07 कुल रकबा 0.5700 हेक्टेयर है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय हेमाराम के फौत होने के बाद उनके पुत्र बधाराम का नाम उपरोक्त खसरान में सामलाती खातेंदारी में दर्ज किया गया, जिस पर प्रार्थी आज भी अपने हिस्से कि भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी के उक्त कब्जे हक अधिकार कि खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम सहवन से राजस्व विभाग द्वारा बधाराम वल्द हेमाराम कौम भाट लिख दिया गया, जबकी प्रार्थी का वास्तिविक नाम मदन सोलंकी पुत्र स्वर्गीय हेमाराम है, प्रार्थी को उक्त नाम से ही पुकारा एवम् पहचाना जाता है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार राजस्थान राजपत्र के अंक 22 भाग 07 में पेज नम्बर 1890 दिनांक 29.08.2019 को बदाराम पुत्र हेमाराम के स्थान पर मदन सोलंकी पुत्र हेमाराम का नाम गजट में पेश किया जो राजस्थान राजपत्र में साधारण साधिकार प्रकाशित हुआ, जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र में सलग्न है।उक्त गजट नोटिफिकेशन के बाद प्रार्थी का नाम मदन सोलंकी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने समस्त सरकारी रेकर्ड, दस्तावेज मदन सोलकी पुत्र हेमाराम के नाम से बनवा दिये है। प्रार्थी के विभिन्न सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड में नाम परिवर्तित कर मदन सोलंकी कर दिया गया है। वर्तमान में प्रार्थी को मदन सोलकी नाम से ही जाना जाता है। राजस्व रेकर्ड में भिन्न नाम लिखा होने से प्रार्थी को अक्सर परेशानी का सामना करना पड रहा है एवम् कानूनी पेचिदगिया उत्पन हो रही है, साथ ही प्रार्थी अपनी संयुक्त कब्जा काश्त कि कृषि भूमि के संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओ का फायदा भी नही उठा पा रहा है। प्रार्थी ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर निवास करता है, उक्त तथ्यो कि जानकारी प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड कि प्रतिलिपि प्राप्त करने पर ज्ञात हुई। जिसके बाद प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र बाबत् धारा 136 का पेश किया। राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को कृषि ऋण भी नही मिल पा रहा है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में हुई लिपिकीय त्रुटी को दुरस्त करते हुए प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में बधाराम के स्थान पर मदन सोलंकी दर्ज करने का आदेश

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

प्रदान करावे। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किया :–

1- R.R.T 2019(1) PAGE NUMBER 758 दुल्हा खान बनाम राजस्थान सरकार अप्रार्थी कि और से परोकार सरकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि बधाराम एवम् मदन सोलंकी एक ही व्यक्ति है। पुर्व में प्रार्थी को बधाराम नाम से पुकारा व पहचाना जाता था,किन्तु वर्तमान में प्रार्थी का नाम मदन सोलंकी है, साथ ही प्रार्थी का नाम संशोधित करने कि अभिशंषा कि गई।

उभय पक्ष की बहस सूनी गई, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवम् न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कि धारा – 136 से संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 – राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

धारा – 136 गलतियो का शुद्धिकरण :– "भू – अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी भी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियो को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस कर ले। परन्तु जब किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही कि जायेगी जब तक कि पक्षकारो को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दिया गया हो।"

प्रकरण हाजा में प्रार्थी यह कथन कर रहा है कि पुर्व में उसे बधाराम नाम से पुकारा व पहचाना जाता था, किन्तु वर्तमान में उसे मदन सोलंकी नाम से जाना जाता है। प्रार्थी का वास्तिविक नाम बधाराम पुत्र हेमाराम है जिसका शुद्धिकरण चाहा गया है, एवम् जहा तक राजपत्र में प्रकाशन का प्रश्न है प्रार्थी द्वारा अपना शपथ पत्र राजपत्र में प्रकाशित करवाया है कि मेरा पुराना नाम बधाराम था इसी अनुसार मेरे दस्तावेजो में मेरा नाम बधाराम अंकित है। अब में अपना नाम मदन सोलकी करवाना चाहता हु भविष्य में मुझे मेरे नये नाम मदन सोलंकी से जाना व पहचाना जावे। उक्त शपथ–पत्र में अपने नाम बधाराम के स्थान पर नया नाम मदन सोलंकी बाबत गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रस्तुत कर रहा हू। प्रकरण में प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुर्व में उसका नाम बधाराम था और यह पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से सिद्व भी होता है। प्रार्थी के पिता कि मृत्यु के पश्चात प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

तस्दीक किया गया और उस वक्त प्रार्थी का नाम बधाराम ही था इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी का नाम बधाराम दर्ज किया गया। कालान्तर में प्रार्थी द्वारा गजट नोटिफिकेशन द्वारा अपना नाम मदन सोलंकी किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेज नामान्तरकरण से जाहिर है कि प्रार्थी के पिता कि मृत्यु के बाद प्रार्थी के नाम से दिनांक 3.12.1994 को नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, नामान्तरकरण में अंकित सजरा में भी प्रार्थी का नाम बधाराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपना नाम गजट नोटिफिकेशन द्वारा 29.08.2019 को मदन सोलंकी करवाया गया है। अतः प्रार्थी का यह कथन कि राजस्व कर्मियो द्वारा त्रुटीवश प्रार्थी का नाम मदन सोलंकी लिखा है पूर्णतः गलत है। इस प्रकार प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि राजस्व अधिकार अभिलेख में कोई इन्द्राज लिपिकीय त्रुटी या गलती हुई है, एवम् धारा 136 के तहत राजस्व अधिकार अभिलेख में हुई इन्द्राज संबंधित लिपिकीय त्रुटी या गलती को ही सुधारा जा सकता है। वकील प्रार्थी द्वारा पेश किया गया न्यायिक दृष्टान्त भी हस्तगत प्रकरण में लागू नही होता है। उपरोक्त विवेचन में मेरी विन्रम राय मे प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आवृत नही होता है, अतः खारिज योग्य है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तदानुरूप पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

31/03/22.

उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर, रानी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

आदेश आज दिनांक– 31/03/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर, रानी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी